संस्थान का ज्ञापन पत्र

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति

फार्म –1
(नियम –3)

समिति पंजीयन के लिए ज्ञापन

1. समिति का नाम " छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति" (जिसे आगे समिति कहा गया है) होगा।

2. समिति का पंजीकृत कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहेगा तथा वर्तमान में विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर में स्थित होगा।

3. उद्देश्य : समिति "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करेगी । समिति के उद्देश्य निम्नानुसार है:–

(i) गरीबों के हितों की रक्षा के लिये समर्थकारी नीतिगत वातावरण निर्मित करना जिससे साधनविहीन लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

(ii) राज्य के सभी गरीबो को संगठित करने के लिये समुदाय आधारित संस्थाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना एवं उनके क्षमता में विकास करना, जिससे वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सके एवं सामाजिक न्याय की स्थापना में सक्रिय योगदान दे सके।

(iii) वित्तीय संस्थाओं की मदद से समुदाय आधारित संस्थाओं के द्वारा बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन तथा सहायता देना।

(iv) गरीबों के व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय कौशल का विकास करना।

(v) ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के आय के साधनों में वृद्धि हो सके।

(vi) आय के बेहतर अवसरों के सृजन के लिये गरीबों के सामुदायिक संगठनों को प्रौद्योगिकी, ऋण एवं बाजार की उपलब्धता को सुसाध्य बनाना एवं वांछित अधोसंरचना का विकास करना।

(vii) गरीब पुरुष एवं महिलाओं की क्षमता में विकास करना जिससे उनके लिए कुशल रोजगार की अधिक सभावनाएँ उत्पन्न हो सके एवं वे अपने विकास के मार्ग का निर्धारण स्वयं कर सके ।

(viii) ग्रामीणों के समूह के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी बनाना ।

(ix) राज्य एवं केन्द्र शासन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जो गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है जैसे रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित कर राज्य से गरीबी समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास करना ।

(ग) गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

4. सोसाईटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाईटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद्, संचालकों, समिति या शास. – निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पता तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है ।

अनुक्रमांक	नाम	पता	उपजीविका
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पी.जॉय उम्मेन	मुख्य सचिव, छ.ग.शासन	शासकीय नौकरी
2	श्री नारायण सिंह	अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
3	श्री विवेक ढांड	प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
4	श्री डी.एस.मिश्रा	प्रमुख सचिव, कृषि, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
5	श्री अजय सिंह	प्रमुख सचिव, वित्त, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
6	श्री आर.पी.मंड़ल	सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन	शासकीय नौकरी
7	श्री के.डी.पी.राव	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
8	श्री विकासशील	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
9	श्री आर. एस. विश्वकर्मा	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
10	श्री डी. के. श्रीवास्तव	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, छ.ग. शासन	शासकीय नौकरी
11	डॉ.आर.के.सिंह	संचालक, छ.ग.राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर	शासकीय नौकरी

5. छत्तीसगढ़ सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित सोसाईटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठा ज्ञापन के साथ फाइल की गई है, हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान–ज्ञापन के अनुसरण में सोसाईटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं,

अ. क्र.	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम सहित		हस्ताक्षर
	नाम	पदनाम एवं पता	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पी.जॉय उम्मेन	मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
2	श्री नारायण सिंह	अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
3	श्री विवेक ढांड	प्रमुख सचिव, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
4	श्री डी.एस.मिश्रा	प्रमुख सचिव, कृषि, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
5	श्री अजय सिंह	प्रमुख सचिव, वित्त, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
6	श्री आर.पी.मंडल	सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
7	श्री के.डी.पी.राव	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
8	श्री विकासशील	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छ.ग. शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
9	श्री आर. एस. विश्वकर्मा	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग.शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
10	श्री डी. के. श्रीवास्तव	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, छ.ग. शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर	[signature]
11	डॉ.आर.के.सिंह	संचालक, छ.ग.राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, एस.आई.आर.डी. निमोरा, रायपुर	[signature]

तारीख : ....

प्रति,

सोसाईटियों के रजिस्ट्रार
....
....

साक्षी
हस्ताक्षर 27.04.11
नाम ....
पूर्ण पता .... लेओरस कुजूर

उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ रायपुर

समिति की नियमावली

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति

समिति के नियम

1. समिति का नाम " छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति" (जिसे आगे समिति कहा गया है) होगा।
2. समिति का पंजीकृत कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहेगा तथा वर्तमान में विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर में स्थित होगा।
3. कार्यक्षेत्र : समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा ।
4. उद्देश्य : समिति "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करेगी। समिति के उद्देश्य निम्नानुसार है :-
   - i. गरीबों के हितों की रक्षा के लिये समर्थकारी नीतिगत वातावरण निर्मित करना जिससे साधन विहीन लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
   - ii. राज्य के सभी गरीबों को संगठित करने के लिये समुदाय आधारित संस्थाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना एवं उनके क्षमता में विकास करना, जिससे वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सके एवं सामाजिक न्याय की स्थापना में सक्रिय योगदान दे सके।
   - iii. वित्तीय संस्थाओं की मदद से समुदाय आधारित संस्थाओं के द्वारा बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन तथा सहायता देना।
   - iv. गरीबों के व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय कौशल का विकास करना।
   - v. ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के आय के साधनों में वृद्धि हो सके।
   - vi. आय के बेहतर अवसरों के सृजन के लिये गरीबों के सामुदायिक संगठनों को प्रौद्योगिकी, ऋण एवं बाजार की उपलब्धता को सुसाध्य बनाना एवं वांछित अधोसंरचना का विकास करना।
   - vii. गरीब पुरूष एवं महिलाओं की क्षमता में विकास करना जिससे उनके लिए कुशल रोजगार की अधिक संभावनाऍं उत्पन्न हो सके एवं वे अपने विकास के मार्ग का निर्धारण स्वयं कर सके।
   - viii. ग्रामीणों के समूह के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक कियाशील एवं प्रभावी बनाना।
   - ix. राज्य एवं केन्द्र शासन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जो गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है जैसे रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के मध्य समन्वय स्थापित कर राज्य से गरीबी समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास करना।
   - x. गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

5. प्रभावशील होने की तिथि : ये नियम "छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति" के छत्तीसगढ़ समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 में पंजीकृत होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

6. परिभाषाएँ :–

i) भारत सरकार : भारत सरकार से अभिप्रेत है भारत सरकार के मंत्रालय एवं संबंद्ध विभाग।

ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय से अभिप्रेत है, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ।

iii) छत्तीसगढ़ शासन : छत्तीसगढ़ शासन से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय एवं उनके संबंद्ध विभाग।

iv) अध्यक्ष : अध्यक्ष का अभिप्रेत समिति की "सामान्य सभा" के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष से है।

v) उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष का अभिप्रेत समिति की सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी सभा के उपाध्यक्ष से है।

vi) मिशन संचालक : मिशन संचालक का अभिप्रेत " राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के "मिशन संचालक" से है।

vii) सामान्य सभा : सामान्य सभा का अर्थ समिति की सामान्य सभा से है जो समिति के नियम 7 के अधीन गठित की गयी है।

viii) कार्यकारिणी सभा : कार्यकारिणी सभा से अभिप्रेत उस सभा से है जो समिति के नियम 18 के अंतर्गत गठित की गयी है।

ix) मुख्य कार्यपालन अधिकारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मिशन के मिशन संचालक से है ।

x) मिशन : मिशन से अभिप्रेत "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" या अन्य कोई परियोजना जो समिति द्वारा कियान्वित की जा रही है।

xi) गैर शासकीय संस्था : गैर शासकीय संस्था का अर्थ ऐसी स्वशासी संस्थाएं जिनमें सरकार की भागीदारी न हो।

xii) अधिकारी एवं कर्मचारी : अधिकारी एवं कर्मचारी का अर्थ ऐसे सभी पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक व्यक्तियों से है जो समिति अथवा मिशन में सक्षम अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये हो। सभी कन्सलटेंट तथा अनुसंधान के लिए नियुक्त व्यक्ति भी इसी परिभाषा में आएंगे।

xiii) राज्य मिशन कार्यालय : राज्य मिशन कार्यालय से अभिप्रेत राज्य स्तरीय संस्था से है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

xiv) कलेक्टर : कलेक्टर का अर्थ राज्य शासन द्वारा नियुक्त जिले का कलेक्टर है।

xv) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का अर्थ राज्य शासन द्वारा नियुक्त जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी है।

xvi) जिला पंचायत : जिला पंचायत का अर्थ छत्तीसगढ़ पंचायतीराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित "जिला पंचायत" की संस्था है।

xvii) जिला क्रियान्वयन इकाई : जिला क्रियान्वयन इकाई का अर्थ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्व्यन हेतु जिला स्तर पर गठित दल से है।

xviii) ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायत का अर्थ छत्तीसगढ़ पंचायतीराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत है।

xix) ग्राम सभा : जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित ग्रामसभा से है।

xx) समिति के पदाधिकारी : समिति के पदाधिकारी का अर्थ समिति के सभी पदधिकारियों से है।

xxi) सदस्य सचिव : सदस्य सचिव से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के मिशन संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी से है जो कार्यकारिणी सभा का पदेन सदस्य सचिव होगा।

सामान्य सभा : समिति की सामान्य सभा का स्वरूप निम्नानुसार है :

(1)	अध्यक्ष	:	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
(2)	उपाध्यक्ष	:	माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, छ.ग.शासन
(3)	सदस्य	:	समिति में दो प्रकार के सदस्य होंगे :-

7.1 पदेन :-

1 माननीय मंत्री, वित्त, योजना, छ.ग.शासन
2 माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छ.ग.शासन
3 माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा, छ.ग.शासन
4 माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, श्रम, छ.ग.शासन
5 माननीय मंत्री, वन, छ.ग.शासन
6 माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, छ.ग. शासन
7 माननीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग छ.ग.शासन
8 माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास, छ.ग.शासन
9 माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग.शासन
10 माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, छ.ग.शासन
11 मुख्य सचिव, छ.ग.शासन
12 अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, छ.ग.शासन
13 प्रमुख सचिव,/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग.शासन
14 प्रमुख सचिव,/सचिव, कृषि विभाग, छ.ग.शासन
15 प्रमुख सचिव,/सचिव, वित्त विभाग, छ.ग.शासन
16 प्रमुख सचिव,/सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ. ग.शासन

17 प्रमुख सचिव,/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन

18 प्रमुख सचिव,/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग.शासन

19 प्रमुख सचिव,/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छ.ग.शासन

20 संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर

21 संचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

22 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि

23 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के प्रतिनिधि

24 भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि

25 मिशन संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (सदस्य सचिव)

7.2 **मनोनीत सदस्य**

(1) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, व्यावसायिक बैंक, नागरिक समिति संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे।

(2) प्रमुख गैर शासकीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि, इनमें से एक सदस्य गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका विकास के क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखने वाले, एक कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों के विशेषज्ञ तथा एक पंचायतीराज व्यवस्था अथवा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य की विशेषज्ञता रखने वाले होंगे।

(3) दो जिला पंचायत सदस्य एवं दो जनपद पंचायत सदस्य जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य एवं एक जनपद पंचायत सदस्य महिला होगी।

(4) स्व–सहायता समूह संघ के एक प्रतिनिधि

पदेन सदस्यों का कार्यकाल :

(1) नियम 7.1 में वर्णित सामान्य सभा के समस्त पदेन सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित सभी का कार्यकाल उनके पद पर बने रहने तक ही रहेगा। पूर्व सदस्य के स्थान पर नवीन पद स्थिति होने पर स्वमेव ही नवपदस्थ पदाधिकारी सामान्य सभा का सदस्य हो जाएगा।

(2) सामान्य सभा के किसी सदस्य के कार्यालय/पद के समाप्त हो जाने अथवा कार्यालय/पद का नाम परिवर्तन होने की दशा में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्तराधिकारी के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल :–

9.1 नियम 7.2 के अंतर्गत सामान्य सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनित किया जावेगा एवं हटाया जायेगा। मनोनीत सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

9.2 मनोनीत सदस्यों का नामांकन इस प्रकार किया जायेगा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मिशन के क्रियान्वयन के दौरान हो सके।

10. सदस्यता की समाप्ति :--

सामान्य सभा के सदस्य की सदस्यता उसका त्यागपत्र स्वीकार होने अथवा उसके पागल होने अथवा दीवालिया घोषित होने फौजदारी मामले में दोष सिद्धि होने अथवा चारित्रिक दोष सिद्धि होने अथवा मृत्यू होने पर समाप्त हो जाएगी।

11. सदस्यता से त्यागपत्र :–

सामान्य सभा से त्यागपत्र लिखित रूप में सदस्य सचिव सामान्य सभा को देना होगा तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की तिथि से त्यागपत्र स्वीकार माना जाएगा।

12. मनोनित सदस्यों की पद रिक्ति :–

किसी मनोनीत सदस्य के त्यागपत्र देने से सामान्य सभा में रिक्त स्थान की पूर्ति समिति के सक्षम पदाधिकारी द्वारा नामांकन द्वारा की जाएगी तथा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का कार्यकाल त्यागपत्र देने वाले सदस्य के शेष कार्यकाल तक ही सीमित रहेगा।

13. समिति तथा उसके माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं पर मनोनीत सदस्यों में किसी पद के रिक्त होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समिति तथा मिशन द्वारा लिये गये किसी निर्णय अथवा किये गये किसी कार्य को मात्र इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकेगा कि उक्त निर्णय अथवा कार्य के समय समिति में पद रिक्त था।

14. सामान्य सभा के कार्य :–

सामान्य सभा के कार्य निम्न होंगें –

(1) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अथवा अन्य किसी परियोजना जिसका दायित्व राज्य शासन द्वारा समिति को सौंपा गया है, के क्रियान्वयन के लिए नीति–निर्धारण का कार्य करेगी।

(2) मिशन क्रियान्वयन का मूल्यांकन करेगी तथा शासकीय, गैरशासकीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों जो गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर रहें है, को आवश्यक साधन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करावेगी।

(3) गरीबी उन्मूलन के लिए जनसहयोगी पद्धति से विकेन्द्रीकृत योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के प्रयास करेगी।

(4) गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वप्रबंधित समूहों, पंचायत एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मध्य सहभागिता स्थापित करने का प्रयास करेगी।

(5) सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये आय–व्यय विवरण एवं वार्षिक लेखाओं पर विचार करेगी।

(6) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगी तथा जिलों के वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगी।

(7) मिशन द्वारा प्रस्तुत की गयी विशेष एवं अन्तरिम प्रतिवेदनों पर विचार करेगी।

(8) मिशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था/संस्थाओं के द्वारा समय-समय पर मिशन कियान्वयन के संबंध में दिये गये सुझावों एवं प्रतिवेदनों पर विचार कर आवश्यक निर्देश दे सकेगी।

(9) तकनीकी एवं गैर तकनीकी संसाधनों के विकास के लिए उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग कर सकेगी।

(10) राज्य शासन द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कियान्वित की जा रही योजनाओं में सुधार के लिए सुझाव देगी।

15. **सामान्य सभा के अधिकार :-**

सामान्य सभा को निम्न अधिकार होंगे :-

(1) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय करना।

(2) सदस्यों की संख्या में वृद्धि/ परिवर्तन करना।

(3) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नये नियम बनाना, नियमों को संशोधित अथवा विलोपित करना।

(4) समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्र, राज्य शासन के विभागों एवं संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।

(5) मिशन एवं समिति में प्रशासनिक, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का निर्माण।

(6) कार्यकारिणी समिति अथवा किसी अधिकारी को ऐसे अधिकार अथवा उत्तरदायित्व प्रदान करना जिसे वह उचित समझती हो।

(7) वार्षिक आय-व्यय तथा लेखाओं का अनुमोदन करना।

16. **अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार :-**

(1) सामान्य सभा की बैठक बुलाना।

(2) सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करना।

(3) सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी सभा के किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करना।

(4) समिति द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के सभी पहलूओं का मूल्यांकन करना।

16.1 **उपाध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार :-**

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों एवं अधिकारों के साथ-साथ स्वयं को प्रदत्त कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का भी उपयोग किया जा सकेगा।

17. **समिति की कार्यवाही :-**

(1) समिति की सामान्य सभा की बैठक ऐसे स्थान, दिनांक तथा समय को नियत की जायेगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाये। सामान्य सभा की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एकबार होगी।

(2) जब तक कि नियमों में ऐसा उल्लेख न हो, सामान्य सभा की समस्त बैठकों की सूचना "सदस्य सचिव" के हस्ताक्षर से जारी की जायेगी। बैठक की लिखित सूचना नियत दिनांक से कम से कम दस दिन पूर्व सभी सदस्यों को विशेष वाहक अथवा डाक से प्रेषित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा अल्पावधि की सूचना देकर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

(3) सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष द्वारा की जायगी।

(4) सामान्य सभा की गणपूर्ति (कोरम) के लिए एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तथापि स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं है।

(5) अध्यक्ष सहित सामान्यसभा के सभी सदस्यों को एक मत का अधिकार होगा, **परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।**

18. **कार्यकारिणी सभा :–**

समिति की कार्यकारिणी सभा में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

18.1 **पदेन सदस्य –**

(1)	मुख्य सचिव, छ.ग.शासन	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त छ.ग.शासन	उपाध्यक्ष
(4)	प्रमुख सचिव, कृषि, छ.ग.शासन	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
(6)	सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन	सदस्य
(7)	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग.शासन	सदस्य
(8)	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छ.ग.शासन	सदस्य
(9)	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग.शासन	सदस्य
(10)	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, छ.ग. शासन	सदस्य
(11)	संचालक, छ.ग.राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर	सदस्य
(12)	मिशन संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति	सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी बुलाने का प्रावधान होगा, परन्तु विशेष आमंत्रित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

19. **सदस्यों का कार्यकाल :–**

कार्यकारिणी सभा के पदेन सदस्यों का कार्यकाल नियम 8 (1) एवं (2) के अनुरूप होगा।

20. कार्यकारिणी सभा में पद रिक्तता :–

कार्यकारिणी सभा के निर्णयों को केवल इस कारण अवैधानिक घोषित नही किया जा सकेगा कि किसी समय कार्यकारिणी सभा के सदस्य होने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकी थी अथवा कार्यकारिणी सभा में पद रिक्त है।

21. कार्यकारिणी सभा के कर्त्तव्य :–

कार्यकारिणी सभा का कर्तव्य होगा कि समिति के निर्णयों के अधीन रहकर समिति तथा मिशन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करे। कार्यकारिणी सभा को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वित्त पोषण करने वाली संस्था द्वारा मिशन के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिये गये सुझाव एवं प्रतिवेदन सामान्यसभा के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किये जाये।

22. कार्यकारिणी सभा के अधिकार :–

(1) समिति के लिए नीति तैयार करना।

(2) मिशन के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा ऐसे समस्त उपाय करना जो मिशन तथा समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों।

(3) कार्यकारिणी सभा को मिशन तथा समिति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्थाओं, व्यक्तियों से अनुबंध करने का अधिकार होगा।

(4) समिति एवं मिशन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से चल/अचल सम्पत्ति, सहायता अथवा दान स्वीकार करने का अधिकार होगा।

(5) समिति तथा मिशन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भवन निर्माण स्वीकृत करने, वाहन, भण्डार सामग्री क्रय करने तथा कन्सलटेंट सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(6) नियम–4 के अधीन रहते हुए समिति की चल/अचल सम्पत्ति को क्रय अथवा विक्रय करने अथवा लीज पर लेने का अधिकार कार्यकारिणी सभा को होगा, तथापि शासन के अनुदान से निर्मित चल–अचल सम्पत्तियों का निवर्तन बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा तथा उसका उपयोग भी किसी ऐसे कार्य में नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए वह निमित्त नहीं है।

(7) कार्यकारिणी सभा को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु स्थायी, अस्थायी समितियों, टास्क फोर्स इत्यादि के गठन का अधिकार होगा तथा ऐसी समस्त समितियों/ टास्क फोर्स की सदस्यता, अधिकार, कर्तव्यों के संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. **कार्यकारिणी की कार्यवाही :–**

(1) कार्यकारिणी सभा की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जावेगी।

(2) बैठकों की लिखित सूचना कम से कम 7 दिवस पूर्व सदस्य को भेजी जायेगी, तथापि विशेष परिस्थितियों में –

(i) अध्यक्ष द्वारा 2 घंटे की पूर्व सूचना पर भी बैठक बुलायी जा सकेगी।

(ii) किसी सदस्य को बैठक की सूचना समय पर न मिलना उस बैठक को अवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं हो सकेगा।

(iii) बैठक के लिए जारी सूचना में दिनांक, समय एवं स्थान का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना होगा तथा जब तक नियमों में अन्यथा न कहा गया हो, बैठक की सूचना सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जायेगी।

(iv) कार्यकारिणी सभा की बैठक आवश्यकतानुसार बुलायी जायेगी, परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठक होना अनिवार्य है।

(v) अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सभा में समस्त सदस्यों को एक मत का अधिकार होगा, परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

24. **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कार्यकारिणी सभा के पदेन अध्यक्ष होंगे।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(1) यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति के क्रियाकलाप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रावधानों तथा समिति के निर्णयों के अनुरूप संचालित किये जा रहे हैं।

(2) कार्यकारिणी सभा की बैठक बुलायेंगे अथवा सदस्य सचिव को कार्यकारिणी सभा की बैठक बुलाने के लिए निर्देश देंगे तथा कार्यकारिणी सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(3) किसी विषय पर मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष का मत अंतिम एवं निर्णायक होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे, परन्तु ऐसे आमंत्रित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(5) विशेष परिस्थितियों में अल्पावधि की सूचना देकर कार्यकारिणी सभा की बैठक बुलाने के निर्देश सदस्य सचिव को दे सकेंगे।

(6) अध्यक्ष स्वविवेक से अपने एक अथवा अधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन सदस्य सचिव को कर सकेंगे।

25. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी सभाओं की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष द्वारा उसे विषेष रूप से सौंपे गये शक्तियों का प्रयोग करेगा।

26. **मिशन संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए मिशन संचालक की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(2) मिशन संचालक समिति तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा तथा समिति एवं मिशन की दिन–प्रतिदिन की प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। मिशन संचालक को दायित्वों के सफल निष्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकार होगा:–

i) समिति की सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी सभा की बैठक बुलाना, बैठकों की कार्यवाही का विवरण तैयार करना तथा बैठकों में लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन कराना।

ii) ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करना जिसके लिए सामान्य सभा, कार्यकारिणी सभा अथवा समिति के किसी पदाधिकारी द्वारा उसे समय–समय पर अधिकृत किया गया है।

iii) मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए मिशन के सभी घटकों तथा उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को नेतृत्व प्रदान करना तथा उनमें टीम भावना उत्पन्न करना।

iv) नियमों के अधीन रहते हुए सलाहकार, विषेषज्ञ, शोधकर्ता इत्यादि की नियुक्ति करना तथा समिति तथा मिशन के अधिकारियों / कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन करना।

v) समिति तथा मिशन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य, जिला एवं जनपद स्तरीय इकाईयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना तथा समय–समय पर आवश्यक अनुशासनात्मक निर्णय लेना।

vi) "मिशन संचालक" के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार राज्य शासन द्वारा तय अनुसार होगा।

27. क्रियान्वयन इकाई, स्थापना एवं व्यय इत्यादि :-

(1) राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं संकुल स्तर पर कार्यों के सम्पादन हेतु पद निर्माण शासन से वित्त विभाग की स्वीकृति अनुसार होगा ।

(2) जिलों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नेतृत्व में जिला मिशन इकाई का गठन किया जावेगा जिसका कार्यालय ज़िला मुख्यालय में स्थित होगा।

(3) क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर समन्वयक दल का गठन किया जावेगा जो ग्रामीणों के संगठनीकरण प्रशिक्षण देने तथा गतिविधियों के चयन में सहायता करेगा।

(4) आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, विकासखंड एवं कलस्टर स्तर के स्वीकृत पदों पर प्रतिनियुक्त/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों की भुगतान योजनांतर्गत भारत सरकार [illegible] किया जायेगा।

28. समिति की वित्त व्यवस्था :-

(1) समिति के लिए वित्त व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी :-

i) राज्य शासन, भारत सरकार से सहायता, अनुदान अथवा ऋण के माध्यम से।

ii) अन्य स्रोत से सहयोग।

iii) समिति की सम्पत्तियों से आय।

iv) अन्य स्रोतों से प्राप्तियाँ।

(2) समिति की राशि का आहरण निम्न प्रकार से होगा :-

i) समिति का खाता बैंक में रखा जावेगा तथा चेक के माध्यम से राशि का आहरण किया जावेगा।

ii) समिति के खाते से राशि का वितरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर अथवा अन्य किसी माध्यम से, जैसा कि वित्तीय नियमों में निर्धारित किया गया है।

29. [illegible] एवं लेखा :-

(1) छत्तीसगढ़ समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत समितियों के पंजीयन पर राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुरूप, ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा तथा आवश्यक अभिलेख संधारित करेगी एवं प्राप्तियों, व्यय एवं देनदारियों का वार्षिक लेखा तैयार करेगी, परन्तु भारत सरकार से सीधी प्राप्तियों का लेखा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जायेगा।

(2) समिति के लेखाओं का परीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा एवं छत्तीसगढ़ समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा।

(3) लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन समिति की सामान्य सभा के माध्यम से राज्य शासन कों प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) समिति का लेखा "भारत के महालेखाकार" द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रावधानों के अधीन रहेगा।

30. वार्षिक प्रतिवेदन :–

प्रतिवर्ष समिति द्वारा किये गये कार्यों का विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं लाभ हानि पत्रक, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ तैयार कर "कार्यकारिणी समिति" एवं समिति की "सामान्य सभा" में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। सभा से अनुमोदन के पश्चात उन्हें राज्य शासन को भेजा जायेगा।

31. संशोधन :–

संस्था के विधान में संशोधन सामान्य सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3(दो तिहाई) से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

32. छत्तीसगढ़ समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 के अधीन रहते हुए तथा राज्य शासन की पूर्व अनुमति से समिति के स्वरूप में परिवर्तन अथवा समिति या परियोजना का विलयन, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य समिति में किया जा सकेगा जिसकी स्वीकृति पंजीयक से लिया जायेगा।

33. जब कभी भी राज्य शासन के मंत्रियों, विभागों, संस्थाओं अथवा पदनामों में परिवर्तन होंगे वे समिति के नियमों में समाहित किये जावेंगे।

34. विघटन :–

संस्था का विघटन सामान्यसभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति शासन को सौंप दी जायेगी। तथा समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

35. सम्पत्ति :–

संस्था के समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगा। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित संपत्तियां योजना अवधि के समाप्त होने के पश्चात राज्य शासन की संपत्ति होगी।

36. राज्य शासन का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति एवं उसके द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय विभाग होगा।

37. **नियम एवं नियमावलियाँ :--**

नियम एवं नियमावलियों में निम्नलिखित का समावेश होगा :--

(i) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों, समिति एवं मिशन में पद निर्माण, योग्यता का निर्धारण, चयन प्रकिया, सेवा शर्तें, वेतन एवं भत्ते, टी.ए. एवं डी.ए. नियम तथा वर्गीकरण एवं कदाचार नियम।

(II) आवश्यक वित्तीय मुद्दे जैसे बजट निर्माण, क्रय नियम, वित्तीय अधिकार, वित्तीय प्रबंधन, लेखा संधारण, आडिट इत्यादि।

(III) अन्य ऐसे विषय जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हो परन्तु –

(1) समिति एवं मिशन के प्रबंधन में नियुक्तियाँ शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर ही की जायेगी।

(2) जब तक समिति के नियमों का निर्धारण नहीं हो जाता है, तब तक समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन किया जावेगा।

(3) समिति एवं मिशन के व्यय में मितव्ययता का ध्यान रखा जायेगा।

38. **प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन :–**

(1) प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग राज्य शासन एवं समिति के नियमों के अधीन ही किया जा सकेगा।

(2) मिशन संचालक राज्य शासन के विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करेंगे।

(3) निम्न पदाधिकारी को प्रदायित अधिकारों का उपयोग उच्च पदाधिकारी कर सकेंगे।

39. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–**

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय--नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

40. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :--**

संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।